



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: Plex/Cir/443

दिनांक: 03.09.2026

को

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्यगण / सीओए के सदस्यगण

महोदय/महोदया,

विषय: हितधारकों की बैठक के लिए भारत-यूके सीईटीए पर सुझाव आमंत्रित करना

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) 15 जुलाई 2026 से लागू हो गया है।

इस संदर्भ में, वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री साकेत कुमार की अध्यक्षता में 7 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में हितधारकों की एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सीईटीए के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी, जिसमें इसकी सफलताएं, निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयां और अन्य संबंधित मुद्दे शामिल होंगे।

इस संबंध में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित विषयों पर अपने विचार साझा करें:

- CETA के लागू होने के बाद से इसके अंतर्गत मिली सफलताएँ;
- निर्यातकों को जिन कठिनाइयों/समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और
- CETA के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य मुद्दे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सुझाव 5 सितंबर 2026 तक bharti@plexconcil.org या research@plexconcil.org पर भेजें ताकि हितधारकों की बैठक के दौरान उन पर उचित विचार किया जा सके।

साभार,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकौन्सिल